



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1628]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 9, 2010/श्रावण 18, 1932

No. 1628]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 9, 2010/SHRAVANA 18, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2010

का.आ. 1937(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (1) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट सेक्शन के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट भूखंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	सेक्शन	किलोमीटर में विस्तार
(1)	(2)	(3)
40	मेघालय राज्य में जोराबाट-शिलांग (बारापानी)	0.000 कि.मी. से 61.800 कि.मी. तक
40 और 44	मेघालय राज्य में शिलांग बाइपास	61.800 कि.मी. (रा. 40) से 34.850 कि.मी (रा. रा.-44) तक

[फा. सं. एन एच-14013/2/2010-पी एंड एम (भाग)]

एस. एस. गुलिया, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2010

S.O. 1937(E).— In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches, as specified in column (3) of the following Table of the Section as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highway No.	Section	Stretches in kilometres
(1)	(2)	(3)
40	Jorabat-Shillong (Barapani) in the State of Meghalaya	From km 0.000 to km 61.800
40 and 44	Shillong bypass in the State of Meghalaya	From km 61.800 (NH-40) to km 34.850 (NH-44)

[F. No. NH-14013/2/2010-P & M (Pt.)]

S.S. GULIA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2010

का.आ. 1938(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्यांक 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

अनुसूची

“16	राष्ट्रीय राजमार्ग सं 40 [0.000 कि.मी. से 61.800 कि.मी. जोराबाट-शिलांग (बारापानी) सेक्शन को छोड़कर] सं. 44, सं. 51, सं. 62 और शिलांग बाइपास [61.800 कि.मी. (रा.रा.-40) से 34.850 कि.मी. (रा.रा.-44) को भी छोड़कर जो, मेघालय राज्य के भीतर स्थित हैं।	मेघालय राज्य सरकार।”
-----	--	----------------------

[फा. सं. एन एच-14013/2/2010-पी एंड एम (भाग)]

एस. एस. गुलिया, निदेशक

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का.आ. 1036(अ), तारीख 7 मई, 2010 द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2010

S.O. 1938(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to the said notification, for serial number 16 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

“16	So much of National Highways No. 40 [excluding from km 0.000 to km 61.800 of Jorabat-Shillong (Barapani) Section], No. 44, No. 51, No. 62 and also excluding Shillong bypass [from km 61.800 (NH-40) to km 34.850 (NH-44)] as are situated within the State of Meghalaya.	State Government of Meghalaya.”
-----	---	---------------------------------

[F. No. NH-14013/2/2010-P & M (Pt.)]

S.S. GULIA, Director

Footnote : The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 1036(E), dated the 7th May, 2010.